परिशिष्ट-तीन

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 7-4-2000/आ.प्र./एक — भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2000.

प्रति,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामलों में संवेदनशीलता से कार्यवाही करने बाबत्.

आप अवगत ही हैं कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यन्त संवेदनशील है. शासन के ध्यान में एक प्रकरण आया है जिसमें भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित किया गया तथा थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी गई. यह स्थिति अत्यन्त अवांछनीय है. अतएव निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक तथा संवेदनशीलता से व्यवहार हो. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में ऐसी घटना शासन के ध्यान में आती है तो सम्बन्धित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में न केवल प्रतिकूल टीप अंकित की जाएगी बल्कि कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी. इनके विपरीत यदि इन वर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार पाया जाता है तो तद्नुसार भी गोपनीय प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाएगा.

2. जिलाध्यक्ष तथा जिला पुलिस अधीक्षक विशेष ध्यान रखेंगे कि इन निर्देशों का पालन हो.

हस्ता./-
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. 7-4-2000/आ.प्र./एक — भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2000.

प्रतिलिपि समस्त संभागीय आयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एल. नरवरिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.